

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या—३७/२०२०

सोनू अंसारी उर्फ शाहिद अंसारी उर्फ मो० सोनू शाहिद ..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखण्ड राज्य ..... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री बिनोद कुमार झा, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री शिव शंकर कुमार, ए०पी०पी०।

०२/१५.०१.२०२० श्री बिनोद कुमार झा, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री

शिव शंकर कुमार, राज्य के लिए विद्वान ए०पी०पी० को सुना।

याचिकाकर्ता को सरायकेला थाना काण्ड संख्या १३४ वर्ष २०१८ (एस)

तदनुसार जी०आर० संख्या २५२ वर्ष २०१९ के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

बदमाशों ने सूचक पर छिपकर आक्रमण किया और नगदी वाले बैग को लूट लिया।

ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्त पंकज दास और अन्य आरोपी व्यक्तियों के कबूलनामे पर फँसाया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने भी कबूल किया है। याचिकाकर्ता १८.१०.२०१९ से हिरासत में प्रतीत होता है।

इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता के निहितार्थ के लिए केवल संदेह है, याचिकाकर्ता, जिसका नाम ऊपर है, को १०,०००/- रुपये (दस हजार रुपये)

के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एवं विद्वान् मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला के संतुष्टि पर, सरायकेला थाना काण्ड संख्या 134 वर्ष 2018 (एस) तदनुसार जी0आर0 संख्या 252 वर्ष 2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन् मुखोपाध्याय, न्याया०)